



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002
Telephone-011 23232373, E-mail: dir-pnd@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in

स.N - 1 5 0 1 1 / 1 0 / 2 0 2 2 - P & D

दिनांक : 28.12.2022

परिपत्र / Circular

विषय:- Notification under Sub Section 3 of Section-1 of ESI Act in the entire area of 5 non notified districts i.e. Chamba, Kullu, Hamirpur, Kinnaur, Lohal & Spiti in the State of Himachal Pradesh.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग- II-खण्ड-3-उप-खण्ड-(II) में दिनांक 23.12.2022 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 6039(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2022 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-24122022-241385)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के 5 गैर अधिसूचित हमीरपुर, चंबा, लाहौल और स्पिति, कुल्लू और किन्नौर जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 6039(E) dated 23th December, 2022 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (II) on 23.12.2022 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No-CG-DL-E-24122022-241385)

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in the entire area of non-notified districts i.e. Hamirpur, Chamba, Lahaul & Spiti, Kullu and Kinnaur in the State of Himachal Pradesh shall be effective from 01.01.2023.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की संख्या (दिनांक 28.12.2022 को) इस प्रकार है / The status of notification on 28.12.2022 is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिले / Fully Notified Districts	467
आंशिक रूप से अधिसूचित जिले / Partially Notified Districts	139
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	138
कुल / Total	744

संलग्नक - यथोपरि

(पी आर सिन्हा)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें ।